पत्र संख्या: 16 /xxvii(11c)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा परीक्षा,
आयुक्त कर भवन, रिंग रोड,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ **देहरादून, दिनांक: 16 अप्रैल 2018**

विषय : लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक कार्य योजना (2018-19) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में आडिट निदेशालय द्वारा किये जाने वाले निम्नलिखित विभागाध्यक्ष, कार्यालयों व संस्थाओं की लेखा परीक्षा कार्य योजना/वार्षिक कलेण्डर पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क. (i) श्रेणी 'ए' की संस्थायें

1. **लोक निर्माण**

1	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	कपकोट,नैनीताल(निर्माणखंड द्वितीय) ,देहरादून, लक्सर, श्रीनगर, गैरसेण
2	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	डीडीहाट,गोपेश्वर, लैंसडाउन
3.	अधिशासी अभियंता, अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग	बेरीनाग
4	अधिशासी अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक खंड लोक निर्माण विभाग	भीमताल, पिथौरागढ़
5	अधिशासी अभियंता परियोजना खंड लोक निर्माण विभाग	रुद्रपुर
6	अधीक्षण अभियंता 12 व वृत्त पौड़ी	

2. **सिंचाई**

1	अधिशासी अभियंता अवस्थापना पुनर्वास खंड टिहरी
2	अधीक्षण अभियंता, नलकूप मंडल यांत्रिक हल्द्वानी

3	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग	लोहाघाट, रामनगर, डीडीहाट, पिथौरागढ़, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, नरेन्द्रनगर, थराली, दुगड्डा
4	अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मंडल	नैनीताल, अल्मोड़ा

3. **लघु सिंचाई**

1	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग	उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, रूद्रप्रयाग, चमोली, पौडी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रपुर

4. **चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**

1	महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय	
2	मुख्य चिकित्साधिकारी (हेल्थ सोसाइटी सहित)	बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, देहरादून ।
3	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	बागेश्वर, सयुंक्त चिकित्सालय -टनकपुर, बेस चिकित्सालय - हल्द्वानी, चमोली, सेंट मेरी चिकित्सालय मसूरी, जिला चिकित्सालय देहरादून,देहरादून (महिला)
4	प्रभारी चिकित्साधिकारी	कपकोट, बैजनाथ, लोहाघाट, चम्पावत, बेतालघाट, रामगढ़, बेलपड़ाव गरमपानी, पोखरी, कर्णप्रयाग, सहसपुर, रायपुर, डोईवाला, मसूरी।

5. **पशुपालन**

1	निदेशक पशुपालन, देहरादून	
2	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रपुर, चमोली, पौड़ी, देहरादून ।
3	पशुचिकित्साधिकारी/ पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड -1	भीमताल, रामनगर, कोटबाग, काशीपुर, रूद्रपुर, किच्छा, गदरपुर रानीखेत, स्याल्दे, द्वाराहाट, चमोली, जोशीमठ, थराली, बिरोखाल ,थैलीसेण, एकेश्वर, डोईवाला, सहसपुर, रायपुर, विकासनगर छाम।

6. **समाज कल्याण**

1	जिला समाज कल्याण	उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर।
	प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	बेतालघाट, मुनस्यारी, बुलवाकोट, गुलरभोज, बिदौरा, कालसी, हरिपुर कालसी, तुय्नी, गोपेश्वर

7. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

1	जिला पूर्ति अधिकारी	टिहरी, पौडी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर।
2	राजकीय खाद्यान्न गोदाम(कुमाऊँ)	सराईखेत, सोमेश्वर, कांडा(बागेश्वर), तामली(चम्पावत), कोटबाग, ओखलकांडा, अस्कोट, थल ।

8. वन विभाग

1	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त	भू.स. वन प्रभाग उत्तरकाशी, टिहरी डैम-i वन प्रभाग, टिहरी डैम-ii वन प्रभाग, नई टिहरी वन प्रभाग, उत्तरकाशी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
2	वन संरक्षक, गढ़वाल	देहरादून वन प्रभाग, हरिद्वार वन प्रभाग, लैंसडाउन वन प्रभाग, भू.स. वन प्रभाग लैंसडाउन, भू.स. वन प्रभाग कलसी
3	निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व	
4	निदेशक नंदादेवी बायो स्फीयर रिज़र्व	

9. ग्राम्य विकास एवं शहरी विकास विभाग

1	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत सांसद निधि, विधायक निधि की विषयगत लेखा परीक्षा (कुमांऊ में नैनीताल, उधमसिंहनगर एवं गढ़वाल मण्डल देहरादून, टिहरी में विभिन्न चयनित क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत) से पूर्व पायलट स्टडी के रूप में जनपद टिहरी के विकासखण्ड चम्बा एवं नगर पालिका चंबा की विषयगत लेखा परीक्षा हेतु प्रारूप एवं विवरणी बनायी जायेगी।

10. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

जिला का नाम	सब रजिस्ट्रार कार्यलय का नाम
देहरादून	सब रजिस्ट्रार देहरादून -III, सब रजिस्ट्रार देहरादून -IV .सब रजिस्ट्रार ऋषिकेश
हरिद्वार	सब रजिस्ट्रार हरिद्वार -I, सब रजिस्ट्रार हरिद्वार -Ii, सब रजिस्ट्रार लक्सर
पौड़ी	सब रजिस्ट्रार कोटद्वार, सब रजिस्ट्रार श्रीनगर
उत्तरकाशी	सब रजिस्ट्रार उत्तरकाशी, सब रजिस्ट्रार बडकोट

(ii) श्रेणी 'बी'-

1.कृषि

1	मुख्य कृषि अधिकारी	चमोली, देहरादून, नरेन्द्रनगर
2	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	रायपुर, सहसपुर, कीर्तिनगर, चंबा, चमोली, थराली

2. दुग्ध विकास

1	सहायक निदेशक	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर

3. उद्योग

1	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र	चमोली, कोटद्वार, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, रूडकी, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर

4. रेशम (उद्योग)

1	उप निदेशक , रेशम	श्रीनगर, देहरादून
2	सहायक निदेशक , रेशम	अल्मोड़ा, हल्द्वानी, चमोली

5. पुलिस

2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, रुद्रपुर
3	सेनानायक पी ए सी रुद्रपुर	
4	सेनानायक 40 बटालियन पी ए सी हरिद्वार	

6. आबकारी

1.	सहायक आयुक्त आबकारी	देहरादून
2	जिला आबकारी अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)

7. तकनीकी शिक्षा

1	प्रचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक	मल्लासालम, द्वाराहाट, कपकोट, क्यांसी, भीमताल, बरम, काशीपुर, पोखरी, गढ़ श्यामपुर, भ्ल्स्वागाज, सतपुली, जखोली, गजा, पिपली

8.राजस्व

1	जिलाधिकारी	पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली
2	उप जिलाधिकारी	पिथौरागढ़ मुनस्यारी गंगोलीहाट लोहाघाट पाटी डुंडा पुरोला बडकोट गैरसण जोशीमठ

9. चिकित्सा शिक्षा

1	वीर चन्द्र गढवाली राजकीय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, श्रीनगर
2	दून मेडिकल कॉलेज
3	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी
4	स्टेट कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग ,देहरादून
5	बी . डी. पाण्डेय कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग नैनीताल .

(iii) श्रेणी 'सी'

1 . कारागार

1	महानिरीक्षक ,कारागार	देहरादून
2.	वरिष्ठ अधीक्षक	सितारगंज, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, पौड़ी, हरिद्वार, रूडकी, पुरसाडी, अल्मोड़ा

2. श्रम

1	आयुक्त श्रम	हल्द्वानी
2	उपनिदेशक कारखाना / बायलर	हल्द्वानी
3	उप श्रम आयुक्त	हल्द्वानी
4	साहयक श्रम आयुक्त	अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश उधमसिंहनगर
5	क्षेत्रीय पुरात्तव अधिकारी	पौड़ी

3.नियोजन

1	राज्य योजना आयोग	देहरादून
2	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	चमोली, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर

4. सतर्कता

1.	निदेशक सतर्कता	देहरादून
2	पुलिस अधीक्षक	हल्द्वानी, देहरादून

5.उच्च शिक्षा

1	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	शितलाखेत, लमगड़ा, गरुड़, बनबसा, हल्द्वानी चौखुटिया, बेरीनाग, गनाई गंगोली, खटीमा, गोपेश्वर, पोक्खरी, ऋषिकेश, रायपुर, कोटद्वार
2	डी ए वी कॉलेज देहरादून	
3	डी बी एस कॉलेज देहरादून	
4	एम . पी जी कॉलेज मसूरी	

5	चिन्म डिग्री कॉलेज हरिद्वार
6	बीएस मपी जी कॉलेज रूडकी

6. शिक्षा विभाग

1	जिला शिक्षा अधिकारी	टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उधमसिंहनागर, नरेन्द्रनगर,
2	खण्ड शिक्षा अधिकारी	चंबा, जौनपुर, लक्सर, बहादराबाद, गैरसैण, थराली, नारायणबगड़, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग, थैलीसेण, खिर्सू, यमकेश्वर, काशीपुर, बाजपुर

(iv) अन्य संस्थायें

1. विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थायें

1	विश्विद्यालय	उत्तराखंड संस्कृत विश्विद्यालय हरिद्वार, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्विद्यालय देहरादून, दून विश्विद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्विधालय, गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्विद्यालय (फार्म लेखा)

2.विकास प्राधिकरण

1	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	देहरादून
2	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	उत्तरकाशी
3	झील विकास प्राधिकरण	नैनीताल

3. मण्डी परिषद

1	मण्डी परिषद	रूद्रपुर
2	मंडी समीति	विकासनगर, साहिया, देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार

ख- टी0जी0एस0 के अन्तर्गत वार्षिककार्ययोजना के प्रस्तावित लेखे

ख (श्रेणी 'ए')

1. नगर निगम

1	नगर निगम	हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, देहरादून

2. नगर पालिकायें (श्रेणी 'ए' एवं श्रेणी 'बी')

क्र.सं.	जिले का नाम	नगर पालिका परिषद	नगरपालिकापरिषद कीसंख्या
1	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	1
2	चमोली	जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली, गौचर	4

3	टिहरी गढ़वाल	नई टिहरी, मुनि की रेती, नरेन्द्रनगर	3
4	देहरादून	मसूरी, ऋषिकेश, हर्बटपुर, डोईवाला	4
5	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर	3
6	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	1
7	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	1
8	चम्पावत	टनकपुर	1
9	उधमसिंहनगर	गदरपुर, बाजपुर	2
10	हरिद्वार	मँगलोर, लक्सर	2
11	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	1
12	नैनीताल	नैनीताल, भवाली	2
13	बागेश्वर	बागेश्वर	1
		योग	26

3. नगर पंचायतें(श्रेणी 'बी')

क्र0सं0	जिले का नाम	नगर पंचायतें	नगर पंचायतों की संख्या
1	उत्तरकाशी	पुरोला, नौगाँव	2
2	चमोली	गैरसैण, गौचर, थराली, बद्रीनाथ	4
3	टिहरी गढ़वाल	गजा, सतपुली, लम्बगाँव	3
4	देहरादून	-	
5	पौड़ी गढ़वाल	सतपुली, स्वर्णाश्रम जौंक	2
6	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	1
7	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	1
8	चम्पावत	लोहाघाट, बनबसा	2
9	उधमसिंहनगर	महुँखेड़ागंज, दिनेशपुर, केलाखेड़ा, महुआडाबरा	4
10	हरिद्वार	पिरान कलियर	1
11	रूद्रप्रयाग	केदारनाथ, अगस्त्तमुनि	2
12	नैनीताल	भीमताल	1
13	बागेश्वर	कपकोट	1
			25

4. क्षेत्र पंचायतें(श्रेणी 'बी') एवं ग्राम पंचायतें(श्रेणी 'सी')

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र पंचायतें/ब्लाक पंचायतें	क्षेत्र पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	अल्मोड़ा	भिक्यासेण, चखौटीया, द्वाराहाट(ग्राम पंचायत),सल्ट(ग्राम पंचायत),ताकुला, ताड़ीखेत	14	240
2	बागे"वर	बागेश्वर(ग्राम पंचायत)., गरुड़ (ग्राम पंचायत),	0	80
3	चमोली	गैरसैण(ग्राम पंचायत), जोशीमठ(ग्राम पंचायत) पोखरी, दशोली	2	160
3	चम्पावत	लोहाघाट, बाराकोट (ग्राम पंचायत)	1	80
4	देहरादून	चकराता, कालसी, डोईवाला (ग्राम पंचायत)	2	120
5	हरिद्वार	बहादराबाद, रूडकी (ग्राम पंचायत), लक्सर(ग्राम पंचायत), (ग्राम पंचायत)भगवानपुर(ग्राम पंचायत)	1	160
6	नैनीताल	बेतालघाट(ग्राम पंचायत), धारी, रामनगर(ग्राम पंचायत), हल्द्वानी	2	160
7	पौड़ी गढ़वाल	दुगड्डा(ग्राम पंचायत), खिर्सू (ग्राम पंचायत),पाबौ (ग्राम पंचायत), नैनीडंडा, बीरोणखाल, थैलीसेण	3	240
8	पिथौरागढ़	बेरीनाग(ग्राम पंचायत), मुनाकोट,कालीछिना, गंगोलीहाट	3	200
9	रूद्रप्रयाग	उखीमठ(ग्राम पंचायत)	0	40
11	टिहरी गढ़वाल	चम्बा(ग्राम पंचायत), नरेन्द्रनगर (ग्राम पंचायत), थौलधार, जौनपुर, भिलगना	3	200
12	उधमसिंहनगर	गदरपुर (ग्राम पंचायत), जसपुर(ग्राम पंचायत), सितारगंज	1	120
13	उत्तरकाशी	डुंडा(ग्राम पंचायत), भटवाड़ी(ग्राम पंचायत), चिल्यानिसौड़	1	120
		योग	33	1920

5. जिला पंचायतें (श्रेणी 'बी')

1	जिला पंचायत	हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली

ग. <u>विशेष सम्परीक्षा (विभागों के अनुरोध पर)</u>

I.उच्च न्यायलय विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा समीति नैनीताल के गठन वर्ष से संपरीक्षा.

II.होमोपेथिक मेडिसिन बोर्ड के गठन उपरांत आय व्ययक की विशेष संपरीक्षा.

III.युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के अधीन पायका योजना के अंतर्गत संचालित मिनी स्टेडियम/ निर्मित खेल मैदान /प्रशिक्षण केंद्र के वर्ष 2008-09 से विशेष संपरीक्षा.

IV.स्वच्छ आइकोनिक प्लेस यमनोत्री एवं गंगोत्री में प्रस्तावित कार्यों की विशेष संपरीक्षा.

V.बाजपुर एवं नदेही चीनी मिल की विशेष संपरीक्षा.

VI. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत सोसाइटी फॉर हेल्थ रिसर्च एवं डेवलपमेंट एवं सोसाइटी ऑफ़ पीपल फॉर डेवलपमेंट को आवंटित धनराशि की विशेष संपरीक्षा.

VII. राज्य कर्मचारी बीमा योजना, निदेशालय देहरादून एवं इसके अंतर्गत विभिन्न इकाईयों द्वारा औषधि एवं उपकरण क्रय की विशेष संपरीक्षा.

VIII. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में Computerization of Records के योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान.

IX. संकटमोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट, हनुमानगढ़, नैनीताल की वर्ष 2011–12 से विशेष संपरीक्षा.

घ. लेखा परीक्षा हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(i) लेखा परीक्षा कार्ययोजना के लिए लेखापरीक्षा दल ऑनलाइन माध्यम से अलग से बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु लेखा परीक्षा दल अलग से गठित किये जायेगे ।

(ii) लेखा परीक्षा के समस्त कार्य ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किये जायेगे इस हेतु विस्तृत शासनादेश पृथक से जारी किया जायेगा ।

(iii) आडिट का सम्पादन उत्तराखण्ड आडिट मैनुअल 2011 (शासनादेश संख्या: 275/xxvii (7)/2011 दिनांक: 29 नवम्बर, 2011) ,उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 एवं समय समय पर - शासन जारी दिशा निर्देशों के क्रम में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(iv) लेखापरीक्षा रिपोर्ट आडिट दल द्वारा ऑनलाइन माध्यम के अनुसार निर्धारित समयवधि में निदेशालय लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराया जायेगा । इसके उपरान्त ही आडिट दल को यात्रा भत्ता देय होगा।

लेखा परीक्षा हेतु समय सामान्यत: 02 सदस्यीय आडिट टीम हेतु अवधारित है। विभिन्न राजकीय विभागों/नगर निगम/नगर पालिका/क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत/विभिन्न संस्थाओं के लिए निम्नवत् रूप से लेखा परीक्षा हेतु समय आंवटित किया जाता है:-

क्रसं.	विभाग का नाम		लेखा परीक्षा अवधि	लेखों का प्रमाणीकरण	ऑनलाइन कार्य हेतु समय	कुल समय
1.	नगर निगम/नगर पालिका(श्रेणी 'ए')		18	6	4	28
2	नगर पालिका(श्रेणी 'बी')		6	3	2	11
3	नगर पंचायत		5	3	2	10
4	ब्लाक पंचायत (40 ग्राम पंचायतें)		27	3	2	32
5	जिला पंचायत		20		2	22
6	लोक निर्माण/सिंचाई	प्रांतीय खंड / निर्माण खंड/ सिचाई खंड/ परियोजना खंड	12		4	16
		अस्थाई खंड/विद्युत एवं यांत्रिक खंड	8		2	10
		अधीक्षण अभियंता /सिचाई कार्य मंडल	3		1	4
7	महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		20		4	24
8	मुँख्य चिकित्साधिकारी(हेल्थ सोसाइटी सहित)		12		4	16
9	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक		10		2	12
10	प्रभारी चिकित्साधिकारी		2		-	2
11	लघु सिचाई		7		2	9
12	सब रजिस्ट्रार, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन		7		2	9
13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी		7		2	9
14	पशु चिकित्साधिकारी		1		-	1
15	कृषि संरक्षण अधिकारी		2			2
16	जिला समाज कल्याण अधिकारी		10		3	13
17	प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		2			2

18	वन	वन संरक्षक	03		1	03
		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण	05		1	6
		अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	7		2	9
19	जिला शिक्षा अधिकारी		06		02	08
20	बेस गोदाम		12		3	15
21	राजकीय गोदाम/जिला पूर्ति अधिकारी		5		2	7
22	सहायक निदेशक , दुग्ध संघ(जिला दुग्ध संघ के साथ)		12		3	15
23	जिला शिक्षा अधिकारी / राजकीय महाविद्यालय /खंड शिक्षा अधिकारी		6		2	8
24	उप निदेशक / सहायक निदेशक रेशम,		4		1	5
25	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक /महाप्रबंधक,जिला उद्योग केंद्र / प्रचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिला आबकारी अधिकारी ,पुलिस अधीक्षक सतर्कता, महानिरीक्षक कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, आयुक्त श्रम, उप निदेशक श्रम कार्यालय		05		01	06
26	साहयक श्रम आयुक्त, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी,		03		01	04
27	अधीक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा, पुरसाडी, टिहरी		04		01	05
28	गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं तकनिकी प्रोद्योगिक कृषि विश्विधालय फार्म लेखा (अद्यावधिक)		90		10	100
29	उत्तराखंड दून विश्विद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्विद्यालय		30		4	34
30	उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्विद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्विद्यालय		20		3	23
31	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण		25		4	29
32	झील विकास प्राधिकरण, गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण		15		03	18
33	मण्डी समीति -देहरादून, विकासनगर, सहिया, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर					
34	वीर चन्द्र गढवाली राजकीय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, श्रीनगर, दून मेडिकल कॉलेज ,राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी		12		3	15
35	स्टेट कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग, देहरादून, बी डी पाण्डेय कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग		8		2	10

36	जिलाधिकारी/	6		2	8
37	उपजिलाधिकारी	4		1	5
38	ग्राम्य विकास(विशेश सम्परीक्षा)	100		-	100

(vi) लेखा परीक्षा अभिलेखों पर आधारित होगी, लेखा परीक्षा दल द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों, आपत्तियों के संबन्ध में साक्ष्यों(working Documents) को ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत अपलोड करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशालय लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करेगें।

(vii) लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी (expert committee) के सम्मुख ऑनलाइन एवं एक हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी। निदेशालय, लेखा परीक्षा में आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह में एक्सपर्ट कमेटी के सम्मुख आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। समय की शिथिलता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जायेगी।

VIII. आडिटी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सूचना प्रपत्र (information sheet) ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरी जाएगी यदि किसी कारण से सूचना प्रपत्र (information sheet) नहीं दी जाती है तो निदेशालय द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा। किन्तु लेखें की लेखा परीक्षा नियत तिथि पर ही प्रारम्भ की जायेगी।इस सबंध सम्बंधित प्रशासकीय विभाग से ऑडिट में ऑडिटी द्वारा अपेक्षित सहयोग न दिए जाने के लिए उत्तराखंड लेखापरीक्षा अधिनियम 2012 के सुसगंत प्रावधानों पत्राचार किया जायेगा ।

ix. आडिट रिपोर्ट मे संस्थाओं में चल रही केन्द्र पोषित योजनाओं के किर्यान्वयन/फंडिग पैर्टन/ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण / सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर विशेष टिप्पणी की जायेगी।

(x) **आडिट सम्पादित करने के लिये टेस्ट आडिट पद्धति/कार्यप्रणाली अपनाई जायेगी।** टेस्ट आडिट पद्धति हेतु सैम्पलिंग के रुप में आय पक्ष हेतु एक माह एवं व्यय पक्ष हेतु दो माह का लेखा परीक्षा दल द्वारा प्रतिवर्ष चयन किया जायेगा। आय की लेखा परीक्षा को सम्पादित करने हेतु वर्ष में वह माह चयनित किया जायेगा जिसमें अधिकतम् आय (ब्याज को छोड़कर) होगी। इसी प्रकार अधिकतम व्यय वाले दो माह का चयन व्यय की लेखा परीक्षा हेतु किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन

संस्थाओं में निर्माण कार्य हुए है उसमें मूल्यों के अनुसार पांच बडी परियोजनाओं का प्रारम्भ से अंत तक विस्तृत लेखा परीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त पांच सबसे बडे अनुबन्ध जो अन्य कार्यों से सम्बन्धित होगें की भी विस्तृत लेखा परीक्षा की जायेगी।

(xiii) विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षा के कार्यदिवसों में अधिकतम 33.33% प्रतिशत की वृद्धि निदेशक (लेखा परीक्षा) द्वारा की जा सकती है।

(xiv) टीम लीडर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पर्यवेक्षक अधिकारी को लेखा परीक्षा कार्य की प्रगतिके सम्बन्ध में दैनन्दिनी द्वारा अवगत कराया जायेगा। पर्यवेक्षक अधिकारी प्रत्येक माह निदेशक, लेखा परीक्षा को लेखापरीक्षा कार्य प्रगति, आपत्ति निस्तारण इत्यादि के सम्बन्ध में अवगत करायेगें।

(xv) पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा दल का निरीक्षण प्रत्येक माह कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से किया जायेगा। पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा टीमों का औचक निरीक्षण किया जाना भी अपेक्षित होगा। जिसमें पर्यवेक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा दलों को लेखा परीक्षा के समय मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाय। इसकी आख्या निदेशक,लेखा परीक्षा को निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में प्रस्तुत की जायेगी।

(xvi) यदि टीम लीडर किसी कारण से अवकाश पर रहता है। इस स्थिति में लेखा परीक्षा का कार्य टीम के सदस्य द्वारा सम्पादित किया जायेगा। ऑनलाइन माध्यम में इस सम्बन्ध में अलग से व्यवस्था की जाएगी.

(xvii) लेखा परीक्षा दल द्वारा त्रैमास के अंत में यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि प्रत्येक त्रैमास के समस्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्धारित समयानुसार निदेशालय लेखा परीक्षा/पर्यवेक्षक अधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किये जायें।

(xviii) यदि आडिटी द्वारा लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो सम्बन्धित कारणों को लिखित रूप में प्राप्त कर लेखा परीक्षा दल द्वारा निदेशालय को तत्काल अवगत कराया जायेगा ।

(xix) पर्यवेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अन्तर्गत समस्त आडिट टीम के पास लेखा परीक्षा कार्य (लेखा परीक्षा कार्य एवं रिपोर्ट का ऑनलाइन माध्यम से आलेखन) है। लेखा परीक्षा दल का वार्षिक कार्यक्रम पूर्ण होने की स्थिति में अतिरिक्त लेखा परीक्षा आवंटित करने हेतु शासन को एक माह पूर्व संसूचित किया जायेगा।

(xx) विभागों की लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 की सम्पादित की जायेगी। नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण एवं मण्डी समितियां की लेखा परीक्षा अद्यावधिक की जायेगी।यदि महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा टी0जी0एस0 के अन्तर्गत आवंटित लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न कर ली गयी हो तो उसके बाद के वर्षों की लेखा परीक्षा आडिट दल द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

(xxi) लेखा परीक्षा टीमें समय का पूर्ण सद्पयोग करते हुए निर्धारित कार्यदिवसों में यथासम्भव बचत भी प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

(xxii) विशेष सम्परीक्षा में सम्बन्धित विभाग/संस्था की लेखा परीक्षा के उद्देश्य का सुस्पष्ट उल्लेख लेखा परीक्षा टीम को दिया जायेगा।

(xxiii) प्रत्येक त्रैमास कार्यक्रम में 02 अतिरिक्त लेखों की लेखा परीक्षा हेतु आवंटित किये जायेगे । अतिरिक्त लेखेां की लेखा परीक्षा उसी स्थिति में सम्पादित की जायेगी जबकि आवंटित लेखा परीक्षा संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा निर्धारित तिथि को लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त की गयी हो। निदेशालय द्वारा स्थगित की गयी आडिटी संस्था के स्थान पर अतिरिक्त आवंटित संस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लेखा परीक्षा हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी। इस सम्बन्ध में ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम में एडमिन को भी अवगत कराया जायेगा।

(xxiv)टीम लीडर पर्यवेक्षक अधिकारी को लेखा परीक्षा में किये गये कार्यों के बारे में ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा अवगत कराएगा। पर्यवेक्षक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि

ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के उनके द्वारा आडिट दलों का निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(xxv)लेखा परीक्षा के दौरान आडिटी को अन्तिरिम आपत्तियां/ हाफ मेमो मार्जिन (Rough Note)ऑनलाइन माध्यम से निर्गत की जायेंगी। जिनका परिपालन सम्बन्धित आडिटी से लेखा परीक्षा पूर्ण होने से पूर्व या अधिकतम 15 दिन में ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए केवल अनिस्तारित व अपरिपालित आपत्तियों को सम्मिलित कर ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अन्तरिम आपत्तियां व परिपालन आख्या अपलोड कर) लेखन हेतु दी गयी अवधि में तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशालय लेखा परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

(xxvi)वार्षिक कार्ययोजना, 2018-19 हेतु लेखा परीक्षा कार्य दिनांक: 01 मई 2018 से प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त तिथि से पूर्व समस्त लेखा परीक्षा दल अपने पूर्व कार्ययोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत समस्त लेखा परीक्षा के कार्य एवं लेखा परीक्षा चरण ऑनलाइन माध्यम से सम्पादित किये जायेगे।

(xxvii) समस्त टीम लीडरों एवं सदस्यों द्वारा हाफ मेमो मार्जिन(रफ़ नोट) ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम में मंगल / ऐरल यूनिकोड के (font size 12) में टंकित किये जायेगे ।

(xxviii) जिन टीमों में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी नामित की लेखा परीखा आवंटित की गयी। संबन्धित टीम द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के आहरण-वितरण के लेखों की लेखा परीक्षा दो दिवस में की जायेगी। इसके अतिरिक्त 04 राजकीय विद्यालय एवं 04 स्थानीय निधि अनुदानित अशासकीय विद्यालय के की लेखा परीक्षा टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग रूप से की जायेगी। विद्यालय हेतु प्रत्येक सदस्य की एक दिवस की गणना की जायेगी।

(xxix) वर्तमान कार्ययोजना में 40 पंचायतों हेतु (20 दिवस पंचायत हेतु + 07 दिवस ब्लाक पंचायत) निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक एक पंचायत हेतु एक ही लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्मिक द्वारा सम्पादित की जायेगी। अत: टीम में प्रत्येक सदस्य को 20 पंचायतों का कार्य आवंटन किया गया है।

(xxx) ग्राम पंचायतों की सम्परीक्षा 05 वर्ष लम्बित सम्परीक्षा अवधि (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके पहले चार अतिरिक्त वित्तीय वर्षों का आडिट) वरीयता के आधार पर चयनित करते हुए की जायेगी ।

(xxxii) लेखा परीक्षा हेतु समय 02 सदस्यीय आडिट टीम हेतु अवधारित है। टीम में सदस्यों की संख्या में अवकाश की दशा में उपरोक्त निर्धारित समय में अनुपातिक रूप से वृद्धि अनुमन्य होगी, किन्तु अनुपस्थिति यथासम्भव न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

<u>पत्र सं0- /**xxvii**(11c)/2018 तद्दिनांकित</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, वैभवपैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4. सम्बन्धित वित्त नियंन्त्रक/वित्त अधिकारी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।